(11) आयोजनेत्तर/आयोजनागत
संख्या-2067/ III-2/04-01(बजट) /2004

प्रेषक,

टी0के0पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग,देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून,दिनांक 10 सितम्बर,2004

विषयः- वित्तीय वर्ष 2004-2005 मे कार्यकारी अधिष्ठान,विकास निर्माण कार्य के प्रखण्ड हेतु प्राविधानित अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1647/08 बजट(अधिष्ठान)/2004-05 दिनांक 23.8.2004 के संदर्भ मे एवं शासनादेश संख्या-454(1)/लो.नि.2/04-01(बजट)/04 दिनांक 06अप्रेल,2004 एवं शासनादेश संख्या-1532/III-2-04-01(बजट)/04 दिनांक13 अगस्त, 04 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक 2059 के अन्तर्गत विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्डो मद मे प्राविधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि संलग्न विवरणानुसार रू0 3951हजार(रू0 उन्तालीस लाख इक्यावन हजार मात्र) आयोजनागत एवं रू0 8331हजार (रू0 तिरासी लाख इकतीस हजार मात्र) आयोजनेत्तर की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर इस प्रतिबन्ध के साथ रखी जा रही है कि मितव्ययता की मदो मे आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा ।

2. यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि जिन मदों में लेखानुदान के अर्न्तगत वर्तमान शासनादेश के आबंटन से अधिक धनराशि अवमुक्त की गई है,उनमे उतनी ही धनराशि तक व्यय सीमित रखा जाय,जितनी इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही है।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदो में नही किया जायेगा ।

4. उक्त धनराशि का आबंटन किसी ऐसे व्यय को कम करने का अधिकार नही देता है,जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो या अन्य आदेशो के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशो में निहित निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

5. फर्नीचर /उपकरणों का कय पदधारक/कार्यालय के मानक के अनुसार डी.जी.एस.एण्ड. डी. की दर अथवा टेण्डर /कुटेशन विषयक नियमो का अनुपालन करते हुए किया जायेगा ।

6. कम्पयूटर के कय मे एन.आई.टी., आई.टी. विभाग के दिशा निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा ।

कमशः 2/-

7. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक–2059 लोक निर्माण कार्य–80 सामान्य– आयोजनागत/आयोजनेत्तर–051–निर्माण कार्य–03–विकास निर्माण कार्य के प्रखण्ड –00–लोक निर्माण अधिष्ठान के अर्न्तगत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा

6– यह आदेश वित्त विभाग के अ०श० संख्या–1049(क)/वित्त अनुभाग–3/04 दिनांक 31 अगस्त, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकः– यथोक्त ।

भवदीय

(टी०के०पन्त)
संयुक्त सचिव ।

संख्या–2077 (1)/लो.नि.2/2004 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल,इलाहाबाद/देहरादून
2. प्रमुख सचिव,वित्त,उत्तरांचल शासन ।
3. आयुक्त गढवाल/कुमायू मण्डल,पौडी/ नैनीताल ।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।
5. मुख्य अभियन्ता,गढवाल/कुमाऊ क्षेत्र,लोक निर्माण विभाग,पौडी/अल्मोडा ।
6. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तरांचल,देहरादून
7. वित्त अनुभाग–3 एवं वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
8. लोक निर्माण अनुभाग–1,उत्तरांचल शासन ।
9. गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी०के०पन्त)
संयुक्त सचिव ।

rcj-mw

शासनादेश संख्या–20(1)/ III–2–2004–01(बजट) /2004 दिनांक 10/1 | 2004
का संलग्नक ।

(धनराशि हजार रूपये मे)

क्रम सं0	मद का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1.	04 यात्रा व्यय	867	2333
2.	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण ।	500	1000
3.	16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100	400
4.	27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	867	667
5.	42 अन्य व्यय	50	100
6.	44 प्रशिक्षण व्यय	167	500
7.	45 अवकाश यात्रा व्यय	600	1000
8.	46 कम्पयूटर हार्डवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	600	2000
9.	47 कम्पयूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	200	333
	योगः–	3951	8331

(आयोजनागत रू0 उन्नतालीस लाख इक्यावन हजार मात्र)
(आयोजनागत रू0 तिरासी लाख इक्तीस हजार मात्र)

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।